



48

समदा :- श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर में प भोपाल

BR/मिगरानी/होशंगाबाद/अ-20/20/7/2121

आवेदक :- अब्दुल आत्मज नन्हें मैहरा, निवासी खैरा रंधोर,
तहसील- बनखेड़ी जिला- होशंगाबाद। प० प०।

॥ बनाम ॥

अनावेदक :- जिजनबाई पुत्री नन्हें मैहरा, पुत्री कृष्णमीलाल
मैहरा निवासी नयागांव तहसील- बनखेड़ी जिला-
होशंगाबाद। प० प०।

श्री. आशीष कुमार, कानून
द्वारा आज दि. 10. 7. 17 को
प्रस्तुत

कलक ऑफ को. 10. 7. 17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 12। कुन्देदा आत्मज हाकम, मैहरा,
- 13। आरतीबाई पुत्री हाकम मैहरा,
ना० वा० वरुद बा० वली हाकम मैहरा,
तोनी निवासी खैरा रंधोर तह० बनखेड़ी जिला-
होशंगाबाद। प० प०।
- 14। राहबलाल आत्मज नन्हें मैहरा। गुंगा, बहरा,
एवं विकृतचित्त।
- 15। कुन्जीलाल आत्मज हाकम मैहरा, निवासी खैरा रंधोर
तहसील- बनखेड़ी जिला- होशंगाबाद। प० प०।

॥ राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 40 मध्य प्रदेश मू राजस्व संहिता 1954।।

(धुनी 301)

न्यायालय :- तहसीलदार बनखेड़ी जिला- होशंगाबाद।

राजस्व प्रकरण क्रमांक :- 10-अ। 27 वर्ष 2015-2016 मौजा खैरा रंधोर

पक्षकारान :- जिजनबाई बनाम राहबलाल वगैरह ---- अनावेदकगण

आदेश दिनांक :- आदेशिका दिनांक 16-6-2017 जिरा बाद में पुनः श्य
करके लिखा गया है- और गलती से 30-6-2017 को डेट
डाल कर- पेशा 30-6-2017 को रखा गई।
कार्या वाह्यां दिनांक 16-6-2017 को ही है।

(Handwritten signature)

11-7-2017

आवेदक की श्राव ले श्री
द्विपद दीक्षित अभिभाषक
उपस्थित। शाहमता पर सुना
गया। आवेदक के अभिभाषक का
कैबल यह तक है कि तहसीलदार
का उनकी आपत्ति का निराकरण
जही किया जा रहा है। अतः
तहसीलदार को निर्देश दिये जाते
हैं कि वे आवेदक की आपत्ति
का निराकरण करें।

Jm

अभिभाषक

अध्यक्ष